FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

श्रीराम बनाम सोनाराम वगैरा

किस्म मुकदमा नोट आवेदन नं. 08/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/01/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिणछोड़राम गोदारा ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12/02/2020 को पेश हो। विवेक व्यास 1.1.2020 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
12/02/2020	प्रार्थी वकिल उप० । विप्रार्थीगण के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भेजे गये जिनको करीब एक माह हो चुका है विप्रार्थीगण की ओर से कोई अधिवक्ता या स्वयं अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रार्थी वकिल की एक पक्षीय बहस सुनी प्रार्थी वकिल ने बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खेत सीमा - मेड आये हुए है प्रार्थी व विप्रार्थीगण के काश्तकारी खेतों के बीच जो पुरानी मार्ग व रास्ता आये हुए थे जो वर्तमान में [illegible] की वजह से विवाद गये है। [illegible] विवेक व्यास 12.2.2020 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 17:43:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेतों
सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा।
वर्तमान मौके पर विप्रार्थीगण प्रार्थी के मेढो
को तोड़कर उनको काश्त कर लेते हैं जिससे
दोनों पक्षों के मध्य खेतों के मेढो को
लेकर तनाजा बना रहता है प्रार्थी को अपने
खेतों के मेढो का सही ज्ञान करने के लिए
अपने खातेदारी खेतों की पक्की नेपनकंडी कर-
वाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेपनकंडी
आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपनकंडी आदेश
किया जावे।

अत: प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन
पर प्रार्थी का नेपनकंडी आवेदन स्वीकार किया
जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व भू.अभि.
कौशिक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया
जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के
खेत की पक्की नेपनकंडी मौके पर शुल्क
जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर
शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार
होकर, दर्ज रजिस्टर से कम हो, दाखिल दफ्तर
हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 17:43:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

/वाद/20.20/ 73 दिनांकः–12/2/2020

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
श्रीराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी पानादेवड़ा खारापार		सोनाराम पुत्र रूपाराम वगैरा निवासी पानादेवड़ा खारापार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या ..08../2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा पानादेवड़ा पटवार हल्का खारापार तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 120/25, 121/32, रकबा क्रमशः 14.12, 20.17 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांकः–12/02/2020

क्रमांक/वाद/20.20/ 74 to 78

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी खारापार को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री श्रीराम पुत्र हीराराम
4. विप्रार्थीगण सोनाराम पुत्र रूपाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/गिड़ा

12.2.2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 17:43:30 IST
Reason: SelfAttested